फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

प्रतापसिंह बनाम प्रभूदयाल आदि

म मुकदमा 212 आरटीएक्ट 82 नं० /04.10.22 सन् 2022

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
-10-22	प्रार्थी की ओर से वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का पेश किया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर व प्रार्थी के शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादाधीन रकबा रोही मौजा चक 4 एमआरएन के चक प्लान में पत्थर न0 508/414 व 509/414 से स्वीकृतशुदा खाला के मौका की यथास्थिति बनायें रखे। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तामील जरिये रजिस्टर डाक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करते हुए रजिस्टर डाक की रसीदें 3 दिवस मे पेश करें। अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का उज्र एतराज होने पर असालतन वकालतन न्यायालय में पेश हो। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 18.11.22 को पेश हो।
16/11/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] दिनांक 16/1/23 को पेश हो।
16/1/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] वकालतनामा पेश दिनांक 19/4/23 को पेश हो।
19/04/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] दिनांक 30/6/23 को पेश हो।
30/06/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 12/09/23 को पेश हो।
12/09/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] दिनांक 24/11/23 को पेश हो।

11/10/23

Not press

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली पेशी से लेने का निवेदन किया। पत्रावली पेशी से ली गई। वकील वादी ने मूल वाद में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी तथा प्रतिवादी का न्यायालय का राजीनामा हो गया है इसलिए पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रकरण को इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मूल वाद में स्वीकार किया जाकर पत्रावली को इसी स्टेज पर खारिज कर पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner